न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 01/2024

बलवीर सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, जाति जाट, निवासी देवलावास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज0)।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना ,तहसील बुहाना,जिला झुन्झुनू (राज0)।

–रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय 30.10.2023 न्यायालय तहसीलदार
बुहाना मुकदमा उनवानी सरकार बनाम बलवीर
अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 799/2023

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, एडवोकेट –– ––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता –––– राज0 सरकार की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.5.24

पत्रावली पेश हुई। उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.2023 मुकदमा नंबर 799/2023 बमुकदमा उनवानी सरकार, बनाम बलवीर सिंह अं0 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – "अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने अपीलांट को जमीन हाल खसरा नंबर 866/605 रकबा 17.87 हैक्टर किस्म गैर जोहड़ में से 0.01 हैक्टर भूमि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपील पेश कर निवेदन किया कि– हल्का पटवारी सांतोर द्वारा दिनांक 19.09. 2023 को एक पक्षीय रूप से अपीलांट की गैर कब्जा बाड़ा तथ्य अंकित कर अस्पष्ट व संदिग्ध रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। पटवारी की रिपोर्ट में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:30 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर किस दिशा में, किस लम्बाई चौड़ाई में, किस हदूद पर, किस प्रकार बाड़ा बनाकर कब्जा कर रखा है, कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया है। अपीलांट का गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि खसरा नंबर 866/605 के किसी भी भू–भाग पर बाड़ा बनाकर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। अपीलांट की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 866/605 गै.मु. जोहड़ की भूमि सीमा पर नहीं है। अपीलांट को रंजीशवश गलत रिपोर्ट के आधार पर नोटिस दिलवाया गया है। अपीलांट केवल भूमि खसरा नंबर 866/605 गै.मु. जोहड़ से निकलकर आगे स्थित कटानी रास्ते से केवल स्वयं के खेत में आवागमन करता है। अपीलांट ने खसरा नंबर 866, 665 की पूर्वी सीमा पर जहां से रास्ता शुरू होता है, वहां पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सीमा चिन्ह किये जाने के पश्चात रास्ते पर आवारा पशु से बचने के लिए सभी खातेदारों द्वारा गेट बनवाया गया है। अपीलांट ने किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है जिसके आधार मनमाने हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है,जो साबित भी नहीं की गई है। अंत में अपील पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2023 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि हल्का पटवारी सांतोर द्वारा दिनांक 19.09.2023 को एक पक्षीय रूप से अपीलांट की गैर हाजरी में कब्जा बाड़ा तथ्य अंकित कर अस्पष्ट व संदिग्ध रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में उक्त भूमि पर किस दिशा में, किस लम्बाई चौड़ाई में, किस हदूद पर, किस प्रकार बाड़ा बनाकर कब्जा कर रखा है, कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया है। अपीलांट का गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि खसरा नंबर 866/605 के किसी भी भू–भाग पर बाड़ा बनाकर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। अपीलांट की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 866/605 गै.मु. जोहड़ की भूमि सीमा पर नहीं है। अपीलांट को रंजीशवश गलत रिपोर्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:30 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर नोटिस दिलवाया गया है। अपीलांट केवल भूमि खसरा नंबर 866/605 गै. मु. जोहड़ से निकलकर आगे स्थित कटानी रास्ते से केवल स्वयं के खेत में आवागमन करता है। अपीलांट ने खसरा नंबर 866, 665 की पूर्वी सीमा पर जां से रास्ता शुरू होता है, वहां पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सीमा चिन्ह किये जाने के पश्चात रास्ते पर आवारा पशु से बचने के लिए सभी खातेदारों द्वारा गेट बनवाया गया है। अपीलांट ने किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है जिसके आधार मनमाने हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है,जो साबित भी नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2023 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने ग्राम देवलावास की राजकीय भूमि खसरा नंबर 866/605 कुल रकबा 17.87 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ में से रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अंतर्गत नोटिस जारी कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा उन्हें साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट कि हल्का पटवारी सांतौर की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को धारा 91 एल. आर.एक्ट का नोटिस जारी हुआ जो विधिवत तामिल हुआ है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया है, लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर उसका कब्जा वर्ष से होना हो। विवादित राजकीय भूमि खसरा नंबर 866/605 कुल रकबा 17.87 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rani Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 16:51:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2023 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2023 उनवानी सरकार बनाम बलवीर सिंह, मु0नं0 799/2023 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:30 IST
Reason: SelfAttested